

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-720/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.259-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(319)-2024

लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2024


अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(150)-2018 दिनांक 22-10-2018 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, "शब्द "आधे प्रतिशत" के स्थान पर शब्द और अंक "0.25 प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 10 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

  
(डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)  
अपर मुख्य सचिव